

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 116 आवेदन सं0 2018
 चूँकि श्री श्री नारायण सिंह 8009

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में
 और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 2005 से ता0 2017
 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता धला
 चला है अतः प्रमाण प्रदान

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	नाउग - मानोहपुर कच्छुवा P2 Gopalpur प-सन् 113 ताब 81/11 432 Khata 90 SPL 24 Area 0.51 1/2 decimal.							

Schedule XXI Form No 87

S.N.....

(H)

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application..... 42631Date of application..... 11/11/18Name of applicant..... श्री नारायण सिंह

Fees Paid.....

Stamp Paper for..... 2007

Date of deposit.....

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD
पुंगेश
 Director

Registering Officer

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 2005 आवेदन सं0 8010
 दूक श्री Deep Narayan Singh

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 2005 से ता0 2012 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला खला है अतः

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	na420 - marolapuri Kachhuas PZ 113 na420 432 khata 90 plot 24 area 51 1/2 ainal.							

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
 Director

Schedule XXI Form No 87

S.N.....

(H)

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application..... 42632
 Date of application..... 4/8/18
 Name of applicant..... Dr. Bipin K. Singh

Fees Paid.....
 Stamp Paper for..... 200
 Date of deposit.....

Registering Officer

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं. 2189 191

आवेदन सं. 19

चूंकि श्री दीप माधव सिंग ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध के निम्नलिखित सम्बन्धियों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले सम्बन्धियों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों से ता. 21.1.2014 19 से ता. update 19 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सम्बन्धियों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्ठादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मुख्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्राप्ति के प्रति विवरण		
				निष्ठादक	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ग	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजद मोहरे प्र. कच्छमावा		12/1/10 432	2/1/10 90	लोकावली 24			2/1/10 51 1/2 दिनांक
	शाना - मोफाक प्र.							
	शाना नं. 117							
	जिमा 4201-							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. संपत्र-पत्र की दस्ता में ध्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बहाल कि इनके बारे में

2. पट्टे की दस्ता में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

Schedule XXI-Form No. 87
(H)

S.N.

**RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR
SEARCH & COPY**

Serial number of application

Date of application

Name of applicant

Fees Paid

Stamp Paper for

Date of deposit

WABHAVI PROP REALTY PVT. LTD.

Director

Registering Officer

संपत्ति अबभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं. 2190 191

आवेदन सं. 19

मुंकि श्री राजेश कुमार सिंह ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध के निम्नलिखित सत्यवहारों और अवधारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाय।
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले सत्यवहारों और अवधारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों से ता. 31.12.2014 से ता. update तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सत्यवहारों और अवधारों का पता चलता है -

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	फरों के नाम		दस्तावेज की प्र. के प्रति विवेक		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मोटा -	मोटा -		432	90	24			
कागज -	कागज -							
शानक -	शानक -	117						
जिला -	जिला -	पटना						

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र की दशा में ध्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वहाँ कि इनके बारे में

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

Schedule XXI-Form No. 87 (H)

S.N.

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

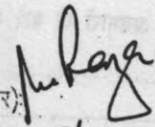
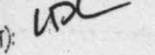
Serial number of application 2522
Date of application 1.9.18
Name of applicant श्री राजेश कुमार सिंह
Fees Paid
Stamp Paper for 120/-
Date of deposit

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.
Director

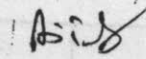
Registering Officer

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा: में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

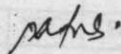
निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): 
(पदनाम): 

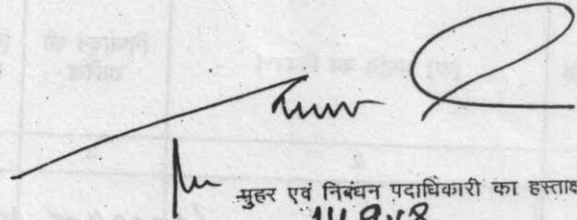
तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): 

(पदनाम):

कार्यालय: 

तारीख:



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

14.9.18

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाह्य) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वही और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

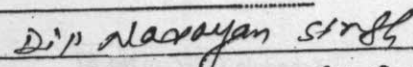
(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

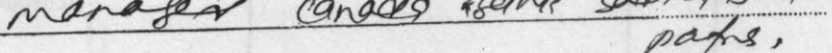
(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

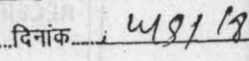
कार्यालय, अवर निबंधक, 8178

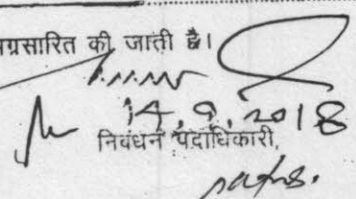
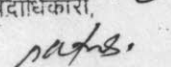
ज्ञाप संख्या

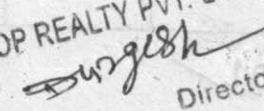
दिनांक 14.9.18

आवेदक श्री 

का रूपभार प्रमाण-पत्र द्वारा 

का उनके पत्र संख्या  दिनांक 14/9/18 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।


निबंधन पदाधिकारी,
14.9.2018


VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.

Director

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की ऊपर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की।

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:

तारीख:

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाह्यो) और अनुक्रमाणियों (इन्डेन्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमाणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(ग) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक, 8149

ज्ञाप संख्या

आवेदक श्री Deepnarayan Singh

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा, manager canara bank co-operative

का उनके पत्र संख्या, दिनांक 14/9/18 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.

Director

यह भी प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अबभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले कितने अन्य संव्यवहार और अबभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलारी की ओर प्रमाण-पत्र तयार किया :-

(उस्ताद) :-

मो० जवान माल

(पदनाम) :-

तलारी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :-

कार्यालय

तारीख

मो० जवान माल, पटना



गृह

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

- टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार किये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वेसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- (1) निबन्धन अधिनियम की धारा 67 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अबभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलारी स्वयं करनी होगी। बिहित एजेंट का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।
- (क) किन्तु धुंके वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलारी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अ तलारी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलार परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
- (ख) और धुंके वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलारी स्वयं की है और धुंके उसके द्वारा दिये संव्यवहारों और अबभारों को सावधानी के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न बुँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अबभारों को धुंके के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

क्राफिक 2252 क्रोके

समाप्ति :- प्रमाणक, क्रोके, संहिता, पटना के प्रेषित

VAIBHAVI PROP REALTY PVT. LTD.

Director

Director